**[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]**

**भारत सरकार**
**वित्त मंत्रालय**
**(राजस्व विभाग)**
**(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)**
**अधिसूचना सं. 35/2019- केन्द्रीय कर**

**नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2019**

सा.का.नि. (अ).-- केन्द्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफ़ारिशों पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 21/2019- केन्द्रीय कर, तारीख 23 अप्रैल, 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 322(अ), तारीख 23 अप्रैल, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 2 में, परंतुक में "31 जुलाई, 2019" अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर "31 अगस्त, 2019" अंक, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे ।

[फा.सं. 20/06/16/2018 - जीएसटी (भाग-I)]

(रुचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण:- मूल अधिसूचना सं. 21/2019- केन्द्रीय कर, तारीख 23 अप्रैल, 2019, भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा.का.नि. संख्यांक 322(अ), तारीख 23 अप्रैल, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 34/2019- केन्द्रीय कर, तारीख 18 जुलाई, 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. सं. 514(अ), तारीख 18 जुलाई, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी, द्वारा इसमें पश्चात्वर्ती संशोधन किया गया था ।